


(291)

(167)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0
निगरानी प्रकरण कं0..... / 2012

R - 2596-J/12



क्र. 2094

प्रेस्ट बस आज
26-7-12 को प्रात्तधुरे तेली पिता श्री इतवारी तेली उम्र 47 साल पेशा खेती निवासी ग्राम
मेदनीपुर तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0 निगराकार
बनाम

राजस्व मण्डल ग्वालियर
रामस्वरूप तेली पिता श्री मंधीर तेली उम्र 50 साल पेशा खेती निवासी
ग्राम मेदनीपुर तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0

2) शासन म0प्र0 गैरनिगराकारगण

अधिकारी श्री रविनदन सिंह
झारा छक्कता
रीता. 24-7-2012
मुमुक्षु
24/7/12

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
19/9/2011 रा0प्रक0कं0 63 5/
2010-11 न्यायालय तहसीलदार
तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी
जिला सतना म0प्र0 के विरुद्ध।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रां0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

- 1) यह कि गैरनिगराकार कं0 1 रामस्वरूप पिता श्री मंधीर तेली ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार की चोरी चोरी एक आवेदन पत्र मौजा खारीकोठार तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0 की अराजी नं0 41 के प्रथक प्रथक बटा नम्बरो को नक्शा मे तरमीम किये जाने के संबंध मे पेश किये थे जिसमे राजस्व निरीक्षक एव पटवारी के द्वारा बिना निगराकार को सूचना दिये अपीलांट की चोरी चोरी आपसी हिस्सा बाट के विरुद्ध तथा मौके मे कब्जे के विरुद्ध नक्शा तरमीम करवा लिये है जिसकी जानकारी निगराकार को दिनांक 29/6/2012 को प्राप्त हुई और उसी दिनांक को निगराकार नकल लेने का आवेदन पत्र दिया और दिनांक 7/7/2012 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होने के उपरांत निगराकार के द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अतिशीघ्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमशः-2

निम्न अपील की तला

(167)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2596-T/12 जिला झतना

..... धुरे तली विरुद्ध २१भृत्यरूप तली

1	2	3
161-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री श्री अधिवक्ता</p> <p>राजनन्दन मिश्हे</p> <p>द्वारा यह नम्बर तहसीलदार तहसील रघुराजगढ़ा के</p> <p>प्रकरण क्रमांक 6/37-5/2010-11 में पारित आदेश</p> <p>दिनांक 1.9.07.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-</p> <p>राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप</p> <p>अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)</p> <p>के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर झतना के न्यायालय</p> <p>को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.03.19 को</p> <p>कलेक्टर झतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	